

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


॥ अधिसूचना ॥

संख्या-12/प0-(मू0को0) 4071/12-सा0प्र0-3569/ पटना-15, दिनांक- 26.3.17
बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए/उनकी सेवा वापस लेते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्री निशान्त, 1342/11, पटना	भूमि सुधार उप समाहर्ता, पुपरी, सीतामढ़ी	अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा, बेगूसराय
2	श्री सुभाष चन्द्र मंडल, 1183/11, मधुबनी	विभागीय अधिसूचना सं०-3255 दि० 18.3.17 के द्वारा अधिसूचित अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा, बेगूसराय ।	वरीय उप समाहर्ता, पटना

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत (क्रमांक 1 के लिए) संबंधित अनुमंडल क्षेत्र एवं (क्रमांक 2 के लिए) संबंधित जिला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । साथ ही उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(भीम प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-12/प0-(मू0को0) 4071/12-सा0प्र0-3569 /पटना, दिनांक- 26.3.17

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में

प्रकाशनार्थ (आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर डालने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के उप सचिव